प्रकरण संख्या 35/2017 श्रीमती धुलीबाई व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 27.03.2017 को पत्रावली कायम तनकियात के लिए निर्धारित थी। इसके बाद आगामी तारीख दिनांक 17.04.2017 तय की गयी तथा दिनांक 17.04.2017 के बाद दिनांक 22.05.2017 तय की गयी, परन्तु 22.05.2017 के स्थान पर पत्रावली दिनांक 05.06.2017 को लोक अदालत में ली गयी। लोक अदालत में वादी मांगीलाल उपस्थित था तथा प्रतिवादी की ओर से रतनलाल व कैलाश की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात के स्तर पर लम्बित प्रकरण में सभी पक्षकारान को सुने बिना तथा पक्षकारों की सहमति हुए बिना विरोधाभाषी प्लीडिंग्स होने के बावजूद वादी का घोषणात्मक वाद डिक्री कर दिया, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.06.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से एस.एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को विधिवत सुने बिना व उनकी सहमति हुए बिना प्रकरण में नियत तिथि से पृथक जाकर विरोधाभाषी प्लीडिंग्स पर तनकियात बनाये बिना विधिक प्रक्रिया से पृथक जाकर प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटि पूर्ण है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ	

न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम की जाकर तथा उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्राप्त साक्ष्य सूबतों के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 23.03.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर